न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 18.01.2021

अपील संख्या 2021/3

उनवान

पांचू लाल आत्मज बिरधीलाल जी, उम्र 70 साल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज हेमराज, जाति गूर्जर
2– चेतन आत्मज हेमराज, जाति गूर्जर
3– फूल कंवर पुत्री हेमराज, जाति गूर्जर
4– गुड्डी बाई पुत्री हेमराज, जाति गूर्जर
5– सावित्री बाई पुत्री श्री हेमराज, जाति गूर्जर
6– भुवनेश पुत्र हेमराज, जाति गूर्जर
7– नाथी बाई बेवा हेमराज, जाति गूर्जर
8– भोजराज आत्मज किशनलाल, जाति गूर्जर
निवासीगण ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 11.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 71/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल कीरपुरिया, तहसील अटरू में खाता सं. 96 की खसरा नं. 1394 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 1405/1926 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 1414 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 1415 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1421 रकबा 1.92 हेक्टर, खसरा नं. 1505 रकबा 0.13 हेक्टर कुल 6 किता कुल रकबा 2.66 हेक्टर आराजी वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त तथा स्वामित्व में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 17.01.2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर तहसीलदार अटरू को आदेश दिये कि ग्राम कीरपुरिया की खाता संख्या 96 की खसरा नं. 1421 पूरब दिशा रकबा 0.48 हेक्टर पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावे जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट का वाद डिकी फरमा दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का कब्जा लगभग 30–32 वर्ष पुराना है तथा अपीलांट 20–22 वर्षों से ग्राम कीरपुरिया आराजी खसरा नं. 1421 रकबा 1.92 हेक्टर में से पूर्व दिशा की 3 बीघा आराजी पर रेस्पोडेंट की जानकारी एवं सहमति से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पेडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री फरमा दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही रेस्पोडेंट

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का वाद डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना ही एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये बिना ही रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि गोपाल लाल ने कीरपुरिया की 3 बीघा जमीन अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट बाद खरीद लगभग तीस वर्षों से आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 7 के पिता एवं पति हेमराज व रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा सहखातेदार गोपाल लाल के साथ मिली भगत कर उक्त आराजी को स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया और उक्त त्रुटिपूर्ण रिकार्ड के आधार पर तथ्य छिपाकर अपीलांट के विरूद्ध वाद डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.10.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील ही हमारी बहस है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट ने अपील में कथन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण की अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तलवी होकर वकालतनामा दिनांक 30.01.2014 को पेश हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादी को जबाब हेतू पर्याप्त अवसर दिये गये। दिनांक 04.02.2016 को प्रतिवादी के जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब बंद किया गया जो हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये पर्याप्त अवसर है। प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी हेतू भी दिनांक 25.04.2018 से 15.11.2018 तक अवसर दिये गये। दिनांक 15.11.2018 को जबाब पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई । इस प्रकार जबाब एवं साक्ष्य प्रतिवादी में पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये। जबाब प्रतिवादी पेश नहीं होने से तनकीयात बनाया जाना सम्भव नहीं होने के कारण तनकीयात नहीं बनाई गई। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर अपना 30–32 वर्ष पुराना कब्जा होने का अपील में कथन किया है लेकिन इस कब्जे बाबत कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में अथवा इस न्यायालय में अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलांट प्रतिवादी के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में बहस तक उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय में

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी द्वारा जबाब, साक्ष्य, कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। अपीलांट अपील के तथ्यों को सिद्व करने में सर्वथा असफल रहे है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्व नहीं करने के कारण अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

पांचू लाल आत्मज बिरधीलाल जी, उम्र 70 साल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... **अपीलांट्स**

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज हेमराज, जाति गूर्जर
2– चेतन आत्मज हेमराज, जाति गूर्जर
3– फूल कंवर पुत्री हेमराज, जाति गूर्जर
4– गुड्डी बाई पुत्री हेमराज, जाति गूर्जर
5– सावित्री बाई पुत्री श्री हेमराज, जाति गूर्जर
6– भुवनेश पुत्र हेमराज, जाति गूर्जर
7– नाथी बाई बेवा हेमराज, जाति गूर्जर
8– भोजराज आत्मज किशनलाल, जाति गूर्जर
निवासीगण ग्राम कीरपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2021/3**
मु.द.नं0 **71/2012**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **17.01.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20 माह 05** सन् **2024**

श्री **घनश्याम नागर** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 06 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)